न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 205/2018

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. परमादेवी पत्नी मोहनलाल		1. मोहनलाल पुत्र रावतराम जाति–सीरवी, निवासी– काणेचा तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. कोशल्या पुत्री मोहनलाल		2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।
3. अशोक पुत्र मोहनलाल वादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरति वलिया माता वादी संख्या 01 परमादेवी जातियान–सीरवी, निवासीगण–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजू:.26/07/2018

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 26/12/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण व प्रतिवादी मोहनलाल की पैतृक–पुश्तैनी खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की जमीन सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा में खसरा नंबर 50 रकबा 0–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 51 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 55 रकबा 86–12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 54 रकबा 74 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 161 बीघा 14 बिस्वा की आई हुई है जिस पर वादीगण अपने हिस्से माफिक काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। वादी संख्या 01 परमादेवी प्रतिवादी की पत्नी है तथा वादी संख्या 02 व 03 कोशल्या व अशोक प्रतिवादी के पुत्री व पुत्र है प्रतिवादी के पिता का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी नामान्तकरण के प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ उक्त जमीन प्रतिवादी को विरासत में मिली है प्रतिवादी की स्वअर्जित नहीं है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी का बहिस्सा बराबर आता है। वादी संख्या 01 व प्रतिवादी के आपस में मनमुटाव होने से एवं प्रतिवादी शराब पीकर अपनी पत्नी वादी संख्या 01 के

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

साथ मारपीट करता है तथा प्रतिवादी अपनी पत्नी को रोटी कपड़ा व मकान भी नहीं दे रहा है तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपने हिस्से की जमीन का बाले बाले बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत करना चाहता है जबकि वादीगण संख्या 01 प्रतिवादी की शादीशुदा पत्नी है तथा वादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी के पुत्री व पुत्र इनके भरण पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते है वादी संख्या 01 ज्यादातर बीमार रहती है वादी संख्या 02 व 03 पढाई कर रहे हैं। जिसका खर्चा भी वादी संख्या 01 दे रही है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी में कुछ जमीन परिवार में कोई बिना जायज जरूरत के भी भू माफिया के बहकावे में आकर बेचान कर दी है और अब सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने की एलानिया धमकिया देता है इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त आराजी को बेचान, रहन, वसीयत आदि करने से रोका जाना जरूरी है। वाद के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से वादी संख्या 02 व 03 का जन्म होते ही स्वतः ही अधिकार निहित हो जाते हैं एवं वादी संख्या 01 प्रतिवादी की विवाहिता पत्नी होने से प्रतिवादी के नाम की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में कानूनन अधिकार हक है एवं वादीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य आय का स्त्रोत नहीं है इसलिए प्रतिवादी व वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। यानि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी के नाम के साथ वादीगण का नाम भी दर्ज किया जाना जरूरी है। उक्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से प्रतिवादी को उक्त आराजी का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी प्रतिवादी शराबी व्यक्ति है जो भू माफिया के बहकावे में आकर उक्त आराजी का बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देगा तो वादीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे एवं वादीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी वादीगण को प्रतिवादी के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी जिससे वादीगण जेरबार हो जायेंगे एवं वादीगण को असीम नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रतिवादी को उक्त आराजी का बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि करने व बैक से ऋण लेने व प्रतिवादी संख्या 02 ऐसा दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से रोका जाना आवश्यक है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 10.07.2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी को उक्त आराजी का बेचान करने से मना किया एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम काणेचा में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 02 बावजूद

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करनें के कारण प्रकरण में वांच्छित अनुतोष का कानूनी पहलुओं एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर उनका विवेचन करते हुए वाद का निर्णयन किया जाना ही विकल्प है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादिया परमादेवी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो सा.मि. है। शपथ पत्र पर प्रदर्श कराये गये। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर उसपर मनन किया।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल की क्रमशः पत्नी एवं संतान है ने प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल के खाते दर्ज आराजी ग्राम-काणेचा, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 50 रकबा 02 बीघा, किस्म- गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 51, रकबा 01 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नंबर 55 रकबा 86.12 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 74 बीघा कुल 04 किता की रकबा 161.14 बीघा जो कि वस्तुतः प्रतिवादी के पिता एवं वादी संख्या 01 के ससुर और वादीगण संख्या 02 व 03 के दादा रावतराम के फौत होने पर हिस्सानुसार प्रतिवादी मोहनलाल के नाम विरासत से दर्ज हुई है, जो कि पैतृक आराजी है, प्रतिवादी की स्व-अर्जित आराजी नहीं है और ऐसी पैतृक आराजी में वादीगण का भी कानूनन हक-हिस्सा निहित है, अतः उक्त हक-हिस्से की वादीगण के पक्ष में घोषणा की जाकर खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जानें का दावा किया है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विचाराणीय विषय यह हैः- (1) क्या वादग्रस्त आराजी पैतृक है या प्रतिवादी संख्या-01 मोहनलाल की स्व-अर्जित है? (2) क्या पिता एवं पति को विरासत से प्राप्त पैतृक आराजी में से पिता एवं पति के जीवित रहते क्रमशः उसके बच्चे एवं पत्नी उसमें अपना हक-हिस्सा रखते हैं, तथा क्या वे अपना ऐसा हक हिस्सा पिता एवं पति के जीवित रहते घोषित करवाने के अधिकारी है। हम उक्त विचारणीय विषयों का पृथक-पृथक विवेचन करना आवश्यक समझते हैं, जो निम्नानुसार हैः-

1. क्या वादग्रस्त आराजी पैतृक है या प्रतिवादी संख्या-01 मोहनलाल की स्व-अर्जित है?

वाद-पत्र के साथ वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2066-2069 ग्राम-काणेचा, तहसीलदार जैतारण जो कि प्रदर्श-4 है में दर्ज नामांतरण प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खातेदार रावतराम के फौत होने से विरासत से नामांतरण संख्या 604/20.05.2011 द्वारा लादूराम, मोहनलाल पि. रावतराम के नाम दर्ज की गई है। मोहनलाल हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 है जो कि वादी संख्या 01 परमादेवी का पति एवं वादी संख्या 02 व 03 कमशः कौशल्या एवं अशोक दोनों नाबालिग जरिए कुदरति वलिया माता परमादेवी, का पिता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 एवं खातेदार मोहनलाल की स्व-अर्जित न होकर पिता से विरासत में प्राप्त पैतृक संपत्ति है। अतः यह बिंदू वादीगण के पक्ष में निर्णित होता है।

2. क्या पिता एवं पति को विरासत से प्राप्त पैतृक आराजी में से पिता एवं पति के जीवित रहते कमशः उसके बच्चे एवं पत्नी उसमें अपना हक-हिस्सा रखते हैं, तथा क्या वे अपना ऐसा हक-हिस्सा पिता एवं पति के जीवित रहते घोषित करवाने के अधिकारी है?

पूर्व विवेचित एवं निर्णित बिंदू से यह स्पष्ट है कि खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या-01 मोहनलाल द्वारा पारित वादग्रस्त आराजी विरासत से प्राप्त पैतृक आराजी है ऐसी पैतृक आराजी में उसके धारक पिता एवं पति का जीवित रहते कमशः उसके बच्चे एवं पत्नी अपना हक हिस्सा निहित रखते हैं या नहीं तथा अगर रखते हैं तो क्या उन्हें अपना ऐसा हक-हिस्सा घोषित करवाने का अधिकार है या नहीं? उक्त कानूनी पहलू का विवेचन का निर्णयन करने से पूर्व हम इ संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों एवं हस्तगत प्रकरण में लागू हिन्दू विधियों का विवेचन करना आवश्यक एवं उचित समझते हैं।

हम Mulla's Principle Of Hindu Laws Edition 15th By Sunder Lal T. Desai Page 435 का पैरा संख्या 315 का विशेष उल्लेख करना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार हैः-

315. Wife - (1). A Wife Can Not Her Self Demand A Partition Puna Bibee V. Radha Kissen (1904) 31 Cal. 476, But If A Partition Does Take Place Between Her Husband And His Sons, She Is Entitled (Except In Southern India (Subramaniam V. Aruna (1905) 28 Mad.1, Also She A. Seetha Mahalak Shamma V.T. Cholamaith (74) A.A.P. 130 (F.B.) To Receive A Share Equal To That Of A Son And To Hold And Enjoy That Share Separately Even From Her Husband (Shivramawi V. Hem Kumar (68) A.S.G.1299 Bombay School)

हम माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा lichhma devi v/s ramjilal&ors 122 R.R.D. 14-07-2008 Page 478 के प्रकरण में पारित निर्णय का भी विशेष उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं जो कि हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार हैः-

Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 89, 53 Appeal Against Order Raa-Held, Disputed Land, Area 32 Bigha Is Ancestral Land Recorded In The Khatedari Of 'L' Husband Of The Appellant - As Per Mull's Hindu Law A Wife Cannot Herself Demand A Partition But If A Partition Does Take Place Between Her Husband And His Sons, She Is Entitled To Receive A Share Equal To That Of A Son And To Hold And Enjoy That Share Separtely Even From Her Husband- Orders Of

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

S.D.O. And R.A.A. Are Erroneous- Advocate Has Only Filed Objection In Respect Of Issue No.7, Therfore, Other Point Have Not Been Discussed - Second Appeal Filed By Defendant No. 12 In Original Suit Is Accepted And Order Of S.D.O. And R.A.A. Are Amended- Suit Filed By 'R' And Counter Claim Of Defendant No. 12 Are Accepted And Preliminary Decree Passed- Grand Son 'R', Appellant 'L' And Sons 2 To 5 Respondent Defendant No.1 'L' - Each Sharer Is Entitled To Mutation- Direction Issued To Mother Of Minor 'R' Not To Transfer The Share Of 'R' To Any One Till His Majority- Thesildar Having Jurisdiction Of The Disputed Land Appointed As Commissioner And Directions Issued To Him.

हम इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई खण्डापा ए.आई.आर.,1978 सुप्रीम कोर्ट, पेज- 1239 के प्रकरण में पारित निर्णय का भी विशेष रूप से उल्लेख करना उचित समझते है, जिसमें माननीय न्यायालय ने हिन्दू विधि के इस मूलभूत सिद्धांत कि ''पत्नी निःसंदेह पैतृक संपति में उसके विभाजन की मांग नहीं कर सकती है परंतु यदि ऐसी संपत्ति में उसके पुत्रों व पति के मध्य विभाजन की मांग उठती है तो पत्नी भी अपने पुत्रों के समान उक्त पैतृक संपत्ति में बराबर का हक प्राप्त करनें की अधिकारीणी है,'' की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि वादिनी जो मृतक खण्डापा की पत्नी है, वह अपने पुत्रों की बराबरी का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है एवं अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके हिस्से में भी वह अपने पुत्र व पुत्रियों के बराबर का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। इस प्रकार उक्त दोनों निर्णय हस्तगत प्रकरण में हुबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल की स्व. अर्जित न होकर पैतृक और विरासत से होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। वादीगण प्रतिवादी संख्या-01 मोहनलाल की क्रमशः पत्नी एवं नाबालिग संताने हैं, जिन्होने उक्त पैतृक आराजी में अपने हक-हिस्सा की घोषणा की मांग की है तथा हिन्दू विधि जिससे प्रश्नगत आराजी के पक्षकार शासित होते हैं में विशेषकर इस संबंध में ''mulla"s priciple hindu law edition 15th by sunderlal desai page 435 के पैरा संख्या 315 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अविभाजित पैतृक आराजी में से संतान अपनें हक-हिस्सों की घोषणा का दावा करती है तो पत्नी भी अपना हक-हिस्सा घोषित एवं पृथक करवाने की अधिकारिणी है। इस प्रकार हम वाद वादीगण को स्वीकार करना विधिसंगत मानते है साथ ही वादी संख्या 02 व 03 जो कि प्रतिवादी मोहनलाल एवं वादी संख्या 01 की अव्यस्क संतनें हैं के व्यस्क होने तक उनके हक-हिस्सों के संरक्षण के लिए उनकी माता एवं वादी संख्या 01 परमादेवी पत्नी मोहनलाल को कुदरती संरक्षक घोषित करना आवश्यक समझते हैं, जो अपनी दोनों अव्यस्क संतानों के हक-हिस्सों की आराजी की सार-संभाल तो करेगी परन्तु

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उसे इन दोनों के व्यस्क होनें तक उक्त आराजी का किसी अन्य को अंतरित करनें का अधिकार नहीं होगा। चुंकि वादीगण ने अपने हक-हिस्सों के बंटवारें की मांग नहीं की है परंतु धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, अविभाजित आराजी के किसी सहखातेदार को अपने हक-हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अन्य सहखातेदारान प्राप्त करनें का कोई अधिकार नहीं होता है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है ग्राम-काणेचा, तहसील- जैतारण, जिला-पाली के खसरा नंबर-50 रकबा 0-02 बीघा, किस्म-गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 51 रकबा 1-00 बीघा, किस्म गै.मु., खसरा संख्या 55 रकबा 86-12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 54 रकबा 0-74 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 161-14 बीघा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र रावतराम के हक हिस्से की खसरा संख्या 50, 51 व 55 की कुल भूमि में से 1/8 वां एवं खसरा संख्या 54 की कुल भूमि में से 21/37 का 1/8 वां हिस्से की भूमि इस प्रकार उक्त चारों खसरा संख्याओं में से कुल आराजी 16-04 बीघा में वादीगण संख्या 1, 2, 3 एवं प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल को संयुक्त रूप से एक समान क्रमशः 1/4, 1/4 हक-हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी संख्या-01 परमादेवी पत्नी मोहनलाल की वादी संख्या 02 व 03 की उनके व्यस्क होनें तक प्राकृतिक संरक्षक घोषित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त दोनों के हक-हिस्सों की आराजी की उनके व्यस्क होनें तक सार-संभाल करेगी परंतु उसे किसी अन्य को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, वक्त नामांतरण एवं जमाबन्दी प्रविष्टि इस बाबत विशेष नोट अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगण :–

1. परमादेवी पत्नी मोहनलाल
2. कोशल्या पुत्री मोहनलाल
3. अशोक पुत्र मोहनलाल

वादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरति वलिया माता वादी संख्या 01 परमादेवी जातियान–सीरवी, निवासीगण–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मोहनलाल पुत्र रावतराम जाति–सीरवी, निवासी–काणेचा तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

मु0न0 :रा0वा0 स0:205/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी अंतर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बख ूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है ग्राम–काणेचा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली के खसरा नंबर–50 रकबा 0–02 बीघा, किस्म–गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 51 रकबा 1–00 बीघा, किस्म गै.मु., खसरा संख्या 55 रकबा 86–12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 54 रकबा 0–74 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 161–14 बीघा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र रावतराम के हक हिस्से की खसरा संख्या 50, 51 व 55 की कुल भूमि में से 1/8 वां एवं खसरा संख्या 54 की कुल भूमि में से 21/37 का 1/8 वां हिस्से की भूमि इस प्रकार उक्त चारों खसरा संख्याओं में से कुल आराजी 16–04 बीघा में वादीगण संख्या 1, 2, 3 एवं प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल को संयुक्त रूप से एक समान कमशः 1/4, 1/4 हक–हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी संख्या–01 परमादेवी पत्नी मोहनलाल की वादी संख्या 02 व 03 की उनके व्यस्क होनें तक प्राकृतिक संरक्षक घोषित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त दोनों के हक–हिस्सों की आराजी की उनके व्यस्क होनें तक सार–संभाल करेगी परंतु उसे किसी अन्य को

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, वक्त नामांतरण एवं जमाबन्दी प्रविष्टि इस बाबत विशेष नोट अंकित किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/12/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	06–00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.30 14:30:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: